न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री रामरतन सौंकरिया आर.ए.एस

अपील संख्या 30/2022

फतेह मोहम्मद पुत्र हाजी अब्दुला खत्री, जाति मुसलमान व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ जिला झुन्झुनू जरिये मुख्तयार फतेहमोहम्मद पुत्र मुस्ताक खत्री, जाति मुसलमान व्यापारी, निवासी वार्ड नम्बर 03 बिसाऊ, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट—

बनाम

1. अब्दुल सतार पुत्र जमालुदीन जाति कसाई निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
2. मोहम्मद सरीफ पुत्र मो0 रमजान जाति मुसलमान व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
3. निसार अहमद पुत्र अब्दुल रजाक जाति मुसलमान व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
4. अ. मजीद पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
5. अब्दुल रहीम पुत्र अब्दुल रहमान जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।(फौत)
   5/1. जेबु पत्नि अब्दुल रहीम जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
   5/2. आसीफ पुत्र अब्दुल रहीम जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
   5/3. आरीफ पुत्र अब्दुल रहीम जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
   5/4. असरफ पुत्र अब्दुल रहीम जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
6. दाउद अली पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
7. मोहम्मद अयुब पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।(फौत)
   7/1. फाता पत्नि मोहम्मद अयुब जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
   7/2. माजु पुत्र मोहम्मद अयुब जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
   7/3. साजु पुत्र मोहम्मद अयुब जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
   7/4. युसुफ पुत्र मोहम्मद अयुब जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
   7/5. फैमीदा पुत्री मोहम्मद अयुब जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
8. मोहम्मद तयुब पुत्र अब्दुल रहमान जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
9. मोहम्मद हुसैन पुत्र रमजान जाति व्यापारी, निवासी बिसाऊ, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू।
10. पतासी पत्नि नत्थुखां जाति कायमखानी निवासी ऊंटवालिया, तहसील व जिला चुरू।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट्स—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:33 IST
Reason: SelfAttested

अपील बखिलाफ न्यायालय तहसीलदार महोदय मलसीसर मुकदमा उनवानी अब्दुल सतार आदि बनाम अब्दुल रहीम आदि मुकदमा नम्बर 01/2022 निर्णय दिनांक 12.04.2022 अ. धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद कुमार गिल (एडवोकेट)......................अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री मोहम्मद रफीक (एडवोकेट)................रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3 व 4 की ओर से।
3. श्री इन्तजार अली खान (एडवोकेट)................रेस्पोडेन्ट संख्या 10 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी (राज0 एडवोकेट).......रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक : 24.07.2024

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का खेत वाके ग्राम बिसाऊ में वर्तमान खसरा नम्बर 261 के भीतर से एक रास्ता खसरा नम्बर 260, 260/2113 से होते हुए सड़क पर जाता है। उक्त रास्ते पर सदीक रंगरेज व नत्थुजी निर्माण कर रहे है जिसके कारण रास्ता बंद हो जायेगा तथा प्रार्थीगण व अन्य खातेदार अपने खेत पर जाने से वंचित हो जायेगें।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 12.04.2022 द्वारा राजस्व ग्राम बिसाऊ में स्थित खसरा नम्बर 260/2113 एवं खसरा नम्बर 260 में से राजस्व रिकार्ड में डॉटेड लाईन से दर्ज रास्ते को खोलने का आदेश पारित किया गया।

उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में अपीलान्ट का मुख्य उज्र यह है कि खसरा नम्बर 261 के सभी सहखातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है। साथ ही खसरा नम्बर 260 में से मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजुद है अतः सुखाचार के तहत रेस्पोडेन्ट रास्ते की मांग नही कर सकते है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता ने अपील के कथनों को दोहराया तथा कथन किया कि मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा रेस्पोडेन्ट वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करते आये है। अतः वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर रेस्पोडेन्ट धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत सुखाधिकार के अधिकारी नही है तथा रास्ता खुलवाने के अधिकारी नही है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने न्यायिक दृष्टान्त **AIR 2002 Rajasthan 309 Rama V/S Megha and others** प्रस्तुत की तथा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि प्रकरण में प्रश्नगत रास्ता राजस्व रिकार्ड में डॉटेड लाईन से अंकित है रेस्पोडेन्टगण वैकल्पिक रास्ता होते हुए भी दुसरे रास्ते की मांग कर सकते है। मौके पर [illegible] बटवारे में कब्जाधारी खातेदार को पक्षकार बनाया गया है सभी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:33 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रश्नगत रास्ता नक्शे में डॉटेड लाईन से अंकित है जबकि जमाबन्दी में उक्त रास्ते के न तो पृथक खसरा नम्बर अंकित हैं और न ही उक्त रास्ते का रकबा गैर

मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल नजरी नक्शा दिनांक 31.03.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि झुन्झुनू–बिसाऊ सड़क से रेस्पोडेन्टगण के खेतों में जाने हेतु अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त एक अन्य रास्ता खसरा नम्बर 269 में से होकर उपलब्ध है जो कि अपीलाधीन रास्ते की अपेक्षा कम लम्बाई का रास्ता है।

न्यायिक दृष्टान्त **AIR 2002 Rajasthan 309 Rama V/S Megha and others** में माननीय न्यायालय ने निर्णित किया है कि **Easementary right of necessity cannot be claimed if alternative passage is inconvenient or bit longer.** उक्त न्यायिक दृष्टान्त कृषि भूमि में सुखाचार के रास्ते के संबंध में है तथा प्रश्नगत प्रकरण भी कृषि भूमि में सुखाचार के तहत रास्ते का ही है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रश्नगत प्रकरण में भी हुबहु लागु होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रदत्त सुखाचार के प्रावधानों के आलोक में पुनः परीक्षण योग्य पाते है तथा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.04.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बिसाऊ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्त एवं धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों आलोक में प्रकरण का पुनः परीक्षण करें तथा उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि प्रकरण में सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय बिसाऊ में दिनांक 05.08.2024 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:33 IST
Reason: SelfAttested